(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4110–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 02/अपील/2013–14.

.....

श्रीमती ऊषाबाई पत्नी श्री लखनलाल युवने
निवासी वार्ड नम्बर 02, पुरानी इटारसी,
जिला होशंगाबाद

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–रामसिंह आ0लखनसिंह
निवासी ग्राम पीपलढाना तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन/सर्व साधारण

.....अनावेदकगण

.....

श्री संजय कुमार, अभिभाषक– आवेदिका
श्री जे0पी0शुक्ला, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–09–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार इटारसी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पीपलढाना स्थित भूमि सर्वे नम्बर 381/1, 381/2 एवं 409 कुल रकबा 2.257 हेक्टेयर भूमि उसके द्वारा विकेता शरदकुमार एवं पंचम से विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, अतः उसका नामान्तरण विकेता के स्थान पर स्वीकृत किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 9–9–08 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–9–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर बिचार किये कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है । अनुविभागीय अधिकारी और तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं बतलाये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि नहीं है, क्योंकि यदि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होती तो राजस्व अभिलेख

में शासकीय दर्ज होती । प्रश्नाधीन भूमि को आवेदिका द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका का पति पटवारी है और लावारिस पडी भूमि को अपने परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत कर विक्रय पत्र के आधार पर क्रय कर नामान्तरण कराता है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामान्तरण आदेश 3 दिन में हुआ है और पंचम की बल्दियत ही बदल दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर शासन का नाम दर्ज हो चुका है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन मंगाया गया है और पटवारी आवेदिका का पति होकर उसी ग्राम में पदस्थ है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी की जा रही है। उनके द्वारा आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में जॉच प्रचलित हुई थी और मूल प्रकरण उपलब्ध होना नहीं पाया गया है । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है कि प्रथमदृष्टया लावारिस संपत्ति को खुर्द–बुर्द करने का मामला स्पष्ट होता है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–09–2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर